<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय,</u>
<u>बगहा, प0 चम्पारण।</u>

Bhitahan P.S. No.- 73/2021
G.R. No.- 680/2021
C.I.S. No.-1329/2026

01.06.2026

अभिलेख अनुसंधानक द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन संख्या– 16/2023 दिनांक 08.02.2023 पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन पर सहायक लोक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले की प्राथमिकी अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड विधान के तहत अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई है।

अनुसंधान के पश्चात अनुसंधानक द्वारा मामला सत्यसुत्रहीन पाते हुए, अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अंतिम प्रतिवेदन पर सुनवाई हेतु सूचक के विरुद्ध नोटिश निर्गत किया गया, परन्तु आजतक सूचक अंतिम प्रतिवेदन पर सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ और न ही सूचक के द्वारा कोई विरोध पत्र दाखिल किया गया है। आज भी बार बार पुकार पर न तो सूचक स्वयं उपस्थित हुआ और न ही सूचक की ओर से कोई विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

प्राथमिकी, अंतिम प्रतिवेदन एवं कांड दैनिकी में वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचारोपरांत न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में आदेशिका निर्गत किए जाने हेतु सामग्री नहीं है। परिणामतः अनुसंधानक द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन संख्या– 16/2023 दिनांक 08.02.2023 को स्वीकृत किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

आदेशित
Sd/-
अविनाश कुमार
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय,
बगहा, प0 चम्पारण।

आदेश की तिथि	01.06.2026
आदेश सुरक्षित रखने की तिथि	कुछ नहीं
आदेश अपलोड करने की तिथि	01.06.2026
अपलोड करने वाला	कार्ट रीडर–कम–डिपोजिशन राईटर